रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935
No. 299] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवंबर, 2013

सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास ..... **आवेदक**

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (अर्थ)

आदेश

(अक्तूबर 2013 के 29वें दिन पारित)

यह कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. केपीटी के वर्तमान दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी दिनांक 18 जनवरी, 2011 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था, जिसे भारत का राजपत्र में 22 फरवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था। आदेश दरमान को 31 मार्च, 2013 तक की वैधता प्रदान करता है। बाद में, केपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा इसके आदेश दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा 30 सितंबर, 2013 तक बढ़ा दी गई।

3.1. अपने दरमान के संशोधन के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से केपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव परामर्श के लिए लिया गया है। अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगते हुए एक विस्तृत प्रश्नावली पत्तन को जारी की गई है। दिनांक 21 मई, 2013, 05 जुलाई, 2013 और 25 जुलाई, 2013 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद केपीटी का उत्तर आना अभी बाकी है। 14 जून, 2013 को संयुक्त सुनवाई का कार्यक्रम था। किंतु केपीटी ने दिनांक 11 जून, 2013 के अपने पत्र द्वारा बताया कि वह मूल प्रस्ताव में वर्ष 2012-13 के वास्तविक (आंकड़ों) के आधार पर कुछ परिवर्तन अपेक्षित कर रहा है और उसने ऐसा महसूस किया कि संयुक्त सुनवाई पत्तन द्वारा दाखिल किये जाने वाले अद्यतन प्रस्ताव पर आयोजित की जानी चाहिये। इस प्रकार, 14 जून, 2013 को सुनिश्चित की गई संयुक्त सुनवाई, केपीटी के अनुरोध पर निरस्त कर दी गई।

3.2. बाद में, केपीटी ने दिनांक 7 अगस्त, 2013 के अपने प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया कि वह वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखा के आधार पर लागत विवरणियों को अद्यतन कर रहा है और उद्योग-जगत तथा अपने मंडल (बोर्ड) से अनुमोदन लेने में इसे कुछ समय लगेगा।

3.3. इस दौरान केपीटी ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि दरमान के संशोधन हेतु इसका संशोधित प्रस्ताव विचाराधीन है और उसको अंतिम रूप दिये जाने से पहले उस पर आम सहमति कायम करने हेतु उस पर व्यापार जगत से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए, केपीटी ने अनुरोध किया है कि जब तक इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरों को अनुमोदन प्रदान नहीं कर दिया जाता तब तक उसे प्रचलित दरों पर (राजस्व) वसूली करने दी जाए।

4. पत्तन की स्वीकारोक्ति के अनुसार, केपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव अभी दाखिल करना है। पूछे गए प्रश्नों पर पत्तन के जवाब की भी प्रतीक्षा हो रही है। संशोधित अद्यतन प्रस्ताव जब प्राप्त होगा तो उसमें भी और अधिक परामर्श की जरूरत होगी (यदि जरूरत हुआ तो) और इसके अलावा और अधिक जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी। बाद में, जब पत्तन से संशोधित अद्यतन प्रस्ताव प्राप्त हो जाएगा तो संयुक्त सुनवाई भी निर्धारित करनी पड़ेगी। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण में इस मामले पर विचार के लिए इस प्रकरण को परिपक्व/तैयार होने में कुछ समय लगेगा।

5. केपीटी के प्रचलित (वर्तमान) दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 को पूरी हो गई है। केपीटी से संशोधित अद्यतन **प्रस्तावन** (प्राप्त करने) के बाद प्राधिकरण में विचार विमर्श-कार्रवाई हेतु प्रकरण को परिपक्व होने में लगने वाले समय को मान्य करते हुए, यह प्राधिकरण, केपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को इसके समाप्त होने की तिथि से 31 दिसंबर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रादान करता है।

6. स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ (रिटर्न) से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल 2013 के बाद वाली अवधि में उभरता है तो ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरा-पूरा समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

No. TAMP/61/2009-KPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/61/2010 - KPT

The Kandla Port Trust **- - -** **Applicant**

QUORUM

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of October 2013)

This relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust (KPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/61/2009-KPT dated 18th January, 2011 which was notified in the Gazette of India on 22nd February, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31st March, 2013. Subsequently, the validity of the existing SOR of KPT was extended by this Authority till 30th September, 2013 vide its Order dated 9th May 2013.

3.1. The proposal filed by the KPT vide its letter dated 3rd January, 2013 for revision of SOR is taken on consultation. A detailed questionnaire has been issued to the port on 17th April, 2013 seeking additional information/clarification. Reply of the KPT is awaited in spite of reminders dated 21st May, 2013, 05th July, 2013 and 25th July 2013. Joint hearing was scheduled on 14th June, 2013. The KPT, however, vide its letter dated 11th June, 2013 stated that it expects changes in the original proposal based on actuals of 2012-13 and felt that joint hearing should be held on the updated proposal when filed by the Port. Hence, the joint hearing scheduled on 14th June, 2013 was cancelled at the request of the KPT.

3.2. Subsequently, the KPT vide its letter dated 7th August, 2013 submitted that it is updating the cost statements based on Annual Accounts for the year 2012-13 and it will take time for obtaining consent of the trade and approval of its Board.

3.3. In the meantime, the KPT vide its letter dated 4th October, 2013 has submitted that its revised proposal for revision of the SOR is under consideration and is being discussed with the trade to arrive at the consensus before finalization. This will take some time. The KPT has, therefore, requested to allow it to collect the existing rate till the revised rates are approved by this Authority.

4. The KPT is yet to file its revised proposal as agreed by the Port. Response of the port on the queries raised is also awaited. Revised updated proposal when received may involve further consultation, if necessary, and further scrutiny as well. Subsequently, a joint hearing will have to be set up on the updated proposal when received from the port. In view of the above position, it will take time for the case to mature for consideration of the Authority.

5. The validity of the existing SOR of KPT expired on 31st March, 2013. Recognising the time required for the case to mature for consideration of the Authority after revised updated proposal from KPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KPT from the date of its expiry till 31st December, 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.